प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः**–ए.सी.बी. चौकी अलवर–प्रथम, अलवर **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ..126/2022....... **दिनांक**......11/4/2022
2. (1) **अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 ....धारा – 7, 7ए**
(2) **अधिनियम– भारतीय दण्ड संहिता 1988 .... धारा – 384, 120 बी**
(3) **अधिनियम**...**धारायें** –.......................................
(4) **अन्य अधिनियम धारायें**...
3. **(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या**.....209..................**समय**.......10 P.M....................
(ब) अपराध घटने का दिन .... **रविवार**..........दिनांक......10.04.2022...समय 03.55 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक...16.07.2021 / 10.04.2022 समय 02.30 ए.एम.
4. **सूचना की किस्म लिखित / मौखिक – सूत्र –सूचना /** हस्तलिखित रिपोर्ट
5. **घटना स्थलः–**
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब उत्तर–पश्चिम 75 किलोमीटर
(ब) 'पताः– कार्यालय परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र शाहजहांपुर जिला अलवर
जरायम देही संख्या......................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – कार्यालय परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र शाहजहांपुर जिला अलवर
6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :–**
(अ) नामः– श्री तेज सिह नयाल
(ब) पिता का नाम – श्री महेन्द्र सिह नयाल
(स) जन्म तिथी / वर्ष........ उम्र 46 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या...**जारी होने की तिथी**................
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय– ड्राईवर
(ल) पता– ग्राम / पोसट भैसडगांव थाना सोमेश्वर जिला अलमोडा उतराखण्ड हाल ड्राईवर (गाडी नम्बर ट्रक– आर0जे0 52 जी0ए0 6601) ओंकारा I रोडवेज ट्रांसपोर्ट ए0 जी0 39 संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली।
7. **ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**
(1) **श्री रविन्द्र सिंह** पुत्र श्री जसवन्त सिह भाटी जाति राजपुत उम्र 42 साल निवासी– मकान नम्बर 147 ए, हनुवंत, बीजेएस कोलोनी जोधपुर हाल परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र, शाहजंहापुर जिला अलवर
(2) **श्री गजेन्द्र सिंह** पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत उम्र 60 साल निवासी– ग्राम आशपुरा थाना अजीतगढ तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान
(3) **श्री कैलाशचन्द** पुत्र श्री नत्थूराम जाति मेघवाल उम्र 56 साल निवासी–बी, 355 गणपति विहार, तिजारा फाटक अलवर हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, जिला अलवर।
(4) **श्री लोकेश कुमार** पुत्र हनुमान प्रसाद जाति यादव उम्र 39 साल निवासी– उधुका बास थाना बानसूर जिला अलवर हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, जिला अलवर ।
(5) **श्री प्रदीप पुत्र हेमराज** जाति मुसलमान उम्र 45 साल निवासी– ग्रम व पोस्ट चिडावा थाना चिडावा जिला झुन्झुनु हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर,जिला अलवर।
(6) **श्री सुमेर सिंह यादव** पुत्र स्व. देवकरण यादव जाति यादव उम्र 59 साल निवासी– ग्राम जटगांवडा जखराना थाना बहरोड जिला अलवर हाल चालक परिवहन विभाग, चैक पोस्ट शाहजंहापुर अलवर,
(7) श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति जाट उम्र 56 साल निवासी– भीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल संविदाकर्मी गार्ड परिवहन चेकपोस्ट शाहजंहापुर जिला अलवर।
(8) श्री रविन्द्र सिंह उर्फ रवि पुत्र श्री इन्दरपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर,

(9) **श्री विक्रम सिंह उर्फ लीला** पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी ग्राम चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर

(10) **श्री सुबे सिंह उर्फ लीलू** पुत्र राम सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी श्याम मन्दिर के पास, शाहजहांपुर थाना शाहजहांपुर जिला अलवर,

(11) **श्री हरिश उर्फ हीराराम पुत्र श्री सोनाराम** उम्र 22 साल जाति कुम्हार निवासी, गॉव चाडो की ढाणी, तहसील व थाना सिणदरी जिला बाडमेर हाल कर्मचारी आई माता महादेव होटल शाहजंहापुर के पास, शाहजहापुर, जिला अलवर।

(12) **श्री विक्रम सिंह प्राईवेट व्यक्ति**

(13.) **श्री रामनिवास यादव** परिवहन उप निरीक्षक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र, शाहजंहापुर जिला अलवर व अन्य

8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–..............................** शून्य..

9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**

10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**.....400/– रूपये...............................

11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**...

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–**

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.07.2021 श्री विजय सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरों अलवर को जर्ये मुखबिर सूत्र सूचना प्राप्त हुई शाहजहापुर बॉर्डर पर तैनात परिवहन निरीक्षक रविन्द्र सिंह भाटी अपने दलाल रविन्द्र सिंह चौहान उर्फ रवि चौहान के मार्फ़त ट्रक मालिको से अवैध वसूली करके राज्य सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की हानि पहुंचा रहे है | ये लोग कई गाडियों से तो मासिक एंट्री लेते है व कई गाडियों से दलाल रवि चौहान के मार्फत ट्रको के बोर्डर पार कराने की एवज मे एन्ट्री के रूपये होटलो पर ड्राईवरों से बात करवा कर रोजाना एंट्री लेते है| इसके अलावा दलाल रवि चौहान के ऑफिस दीना मोटर्स व शाहजहापुर बॉर्डर पर स्थित बेरियल (चेक पोस्ट) पर भी बड़ी मात्रा में अवैध लेन -देन होता है | यदि इन होटलों एवं शाहजहापुर बॉर्डरतथा दीना मोटर्स पर कार्यवाही की जाती है तो अवैध लेन -देन से सम्बंधित भारी मात्रा में नक़दी मिलने एवं परिवहन विभाग में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है उक्त सूत्र सूचना मुख्यालय प्रेषित की गयी जिस पर दिनांक 16.07.2021 से परिवहन विभाग में शाहजहांपुर बोर्डर पर तैनात परिवहन निरीक्षक रविन्द्र सिंह भाटी के मोबाइल नंबर 9413329847 व 9413949999 एवं उसके दलाल रविन्द्र सिंह चौहान के मोबाइल नंबर 9549125081 व 7734030481 को सक्षम अधिकारी की अनुमति से अन्तावरोध पर लिया गया | अन्तावरोध के दौरान रविन्द्र सिह भाटी की मोबाईल पर हुई वार्ताओं मे उसके द्वारा विभिन्न स्थानो पर परिसम्पतियां अर्जित करने की वार्ता होना पाया गया है तथा रवि चौहान के मोबाईल पर हुई वार्ताओं मे रविन्द्र सिह भाटी परिवहन निरीक्षक के नाम पर दलाल रवि चौहान के द्वारा परिवहन निरीक्षक रविन्द्र सिह भाटी के संबंध मे कई वार्ताऐ होना पायी गयी है तथा रवि चौहान द्वारा कई ट्रक ड्राईवरो से एन्ट्री एंव ट्रांसपोटरो से मासिक बंदी लेने की निम्न वार्ताऐं होना पाया गया –

1 दिनांक 09दिसम्बर 2021 को रवि के मोबाइल नंबर 9549125081 पर संदीप चौहान के मोबाइल नंबर9950391893 से बात चल रही थी तो दुसरे फ़ोन पर घंटी बजने कि आवाज आई तो रवि ने कहा जल्दी फ़ोन काट भाटी साब(संदिध आरोपी) का फ़ोन आ रहा है जिससे प्रतीत होता है कि दलाल रवि की संदिध आरोपी रविन्द्र भाटी परिवहन निरीक्षक से बात तो होती है पर अन्तावरोध पर लिए गए फ़ोन नम्बरो के अलावा अन्य नंबर से होती है या व्हाट्सएप्प पर होती है |

2 दिनांक 18 दिसम्बर 2021 को रवि के मोबाइल 9549125081पर कॉल के दोरान किसी से बात करते समय रवि ने बोला शाम को 4 बजे भाटी साब आयेंगे तब उनसे बात करेंगे | ईससे साबित होता है की अधिकतर आमने सामने बैठकर ही आरोपी इंस्पेक्टर रविंदर सिंह भाटी व दलाल रविंदर सिंह चौहान वसूली के बारे में बात करते है |

3 दिनांक 18 दिसम्बर 2021 को रवि के मोबाइल नंबर 954912 5081पर 10:26:25 पर किसी नरेंदर का कॉल आया जिसने कहा कि शाहजहापुर बॉर्डर पर 8 गाडियों कि पक्की (मासिक) एंट्री करवानी है तो रवि ने कहा साब से पूछकर बताता हूँ |फिर 10:34:36 पर दुबारा बात हुई तो रवि ने कहा हो जाएगी एक गाड़ी के 6000 रुपए लगेंगे 48000 रुपए व गाड़ी नंबर लेकर आजा|

4 दिनांक 22 अगस्त 2021को रवि के मोबाइल नंबर 7734030481 पर मोबाइल नंबर 9729502540 से 10 :09:39 पर रास्ट्रीय स्कूल के किसी कर्मचारी मुकेश का फ़ोन आया कि आर टी ओ से बात की थी क्या तो रवि ने उससे कहा 3 फ्लाईग है एक को बोल दिया ,दुसरे को साम को बोल दूंगा कोई दिक्क़त नहीं है और यदि आपको मिलना ही है तो रविन्द्र सिंह है भाटी इंस्पेक्टर ,वह मेरा मित्र है ,अभी जोधपुर गया है 2-3 दिन में आएगा तब में आपको मिलवा दूंगा | (दिनांक 19 अगस्त 2021 को रास्ट्रीय स्कूल की गाडियों को एस.ओ.रविन्द्र सिंह भाटी ने पकड़ के पाबन्द किया था)

5 दिनांक 08 सितम्बर 2021 को रवि के मोबाइल नंबर 7734030481 पर सतवीर के मोबाइल नंबर 7891964604 से 17:54:17 पर कॉल आई जिसमे रवि की गाड़ी के एक करोड़ 75 लाख के व सतवीर कि गाड़ी के 17 लाख के चालान हटवाने कि बात हुई जिसमे रवि ने कहा कि मेने बेरिअल (शाहजहांपुर बॉर्डर) पर से किसी साब से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप

सिंह खाचरियावास को फ़ोन करवाया था पर मंत्री साब कही मिटींग में थे जो बाद में बात करने को कहा था इसलिए मेने तो मेरी गाड़ियों के नंबर भेज दिए तू कहे तो तेरे भी भिजवा दू |

6 दिनांक 02अक्टुम्बर 2021 को रवि के मोबाइल नंबर 7734 030481 पर सतवीर यादव के मोबाइल नंबर 9664438999 से 18:31:57 पर बात चल रही थी उसी दोरान दुसरे फ़ोन कि घंटी बजी तो रवि के कहा फोन रख दुसरे मोबाइल पर साब का फोन आ रहा है जिससे प्रतीत होता है कि रवि ने आर टी ओ अधिकारिओं से बात करने के लिए अलग मोबाइल रखा हुआ है |

7 दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को रवि के मोबाइल नंबर 7734030481 पर मोबाइल नंबर 7231009999 से 16:08:20 पर कॉल आई जिसमे नमक की 25 गाड़ियों की बहरोर व शाहजहापुर कि मासिक एंट्री 4000 रुपए प्रति गाड़ी तय की गयी |

8 दिनांक 03 जनवरी 2022 को रवि के मोबाइल नंबर 7734030481 पर प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 7976749220 से 15:46:14 पर कॉल आई कि वो आर टी ओ वाला आया था जो कह रहा था कि सारे अफसर आये है तुझे बुला रहे है तो रवि ने कहा उनको बोल देना नीमराना खड़ा है |

9 दिनांक 17 सितम्बर 2021 को एस. ओ.भाटी के मोबाइल नंबर 9413329847 पर मोबाइल नंबर 9799884162 से 11:01:39 पर कॉल आई जिसमे वार्ता हुई कि में 15 साल से प्रताप सिंह जी के पास काम कर रहा हु मेने उनसे कभी कोई सिफारिश नहीं करवाई आप कहो तो उनसे बात करवा दू एक लड़के को आपके पास लगा दो (आर टी ओ में अस्थाई गार्ड) तो एस .ओ. ने कहा डीटीओ तो बुढानिया साब है उनसे बात करो आप जिसपर कॉल करने वाले ने कहा कि मेने सब पता कर लिया वो कुछ नहीं कर पाएंगे आप करोगे वाही होगा | **इससे साबित होता है की चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के सर्वेसर्वा आरोपी इंस्पेक्टर भाटी ही है**

उक्त सूत्र सूचना पर निर्देशानुसार हालात श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरों कोटा को निवेदन किये तथा मन् पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद, श्री विजय सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरों अलवर के साथ दिनांक 23.02.2022 को बहरोड मेन रोड हाई– वे स्थित होटल शिवा ओएसिस पहुंचा, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ठाकुर चन्द्रशील कुमार, पु.नि. श्री अजीत बगडोलिया एंव जाब्ता श्री दिलीप सिह, वरिष्ठ सहायक, श्री नरेन्द्र सिंह कानि.नं. 305 मय सरकारी वाहन मय ड्राईवर श्री हेमन्त सिंह के उपस्थित आये हुय मिले। जिन्हे विजय सिह अ0पु0अ0 ने सूत्र सूचना से संबंधित समस्त हालात बताये। प्राईवेट वाहन सें राजस्थान–हरियाणा बॉर्डर पर स्थित राजस्थान परिवहन, चैक पोस्ट शाहजंहापुर पर पदस्थापित परिवहन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी/ प्राईवेट द्वारा चैक पोस्ट सें निकलने वाले वाहनों सें एन्ट्री के नाम पर तथा वाहन को ऑवर लोढ, ऑवर हाईट, दस्तावेजों में कमी, व चालान का भय दिखाकर जबरन वाहन चालकों की जा रही वसूली की तस्दीक एवं नजरी निरीक्षण करवाया गया तत्पश्चात होटल शिवा ऑएसीस वापिस आये। जहां विजय सिह अ0पु0अ0 परिवादी श्री पूरन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिह जाति राजपुत उम्र 35 साल निवासी– ग्राम गंगाड पोस्ट ओखालसा तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कि की – मैं वर्तमान में श्री तेजेन्द्र सिह जी की नाईस ट्रांसपोर्ट के शाहजंहापुरा जिला अलवर राजस्थान के वर्क्शॉप पर इन्चार्ज की हैसियत सें कार्यरत हूं। हमारे नाईस ट्रांसपोर्ट की शाहजंहापुर बोर्डर स्थित परिवहन विभाग के नाके सें करीबन 150 गाडियां निकलती हैं। बॉर्डर पर स्थित परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी हमारी गाडी के ड्राईवरों सें एन्ट्री के नाम पर प्रत्येक गाडी सें रिश्वत में रूपये लेते हैं जो राशि कभी 100, 200 या 500 रूपये होती हैं तथा कभी–कभी हमारी गाडियों के परमिट रख लेते हैं। परमिट लेने जाते हैं तो चालान का भय दिखाकर कभी 1000 रूपये या इससें कम या अधिक रूपये ले लेते हैं तथा इसके बाद परमिट वापस देते हैं। हम हमारी गाडियों सें ली जाने वाली अवैध रिश्वत राशि इन परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को नहीं देना चाहते है तथा इनको रंगे हाथों पकडवाना चाहते हैं। इस बाबत मैने हमारी कम्पनी के मालिक श्री तेजेन्द्र सिह जी सें भी बात की तो उन्होने इस बाबत सहमति दे दी है। मेरी इन परिवहन विभाग वालों सें कोई दुश्मनी नहीं हैं ना ही कोई रंजिश हैं। मैं केवल हमारी गाडियों सें हो रही अवैध वसूली को बन्द करवाकर परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली कर राज्य सरकार को किये जा रहे राजस्व नुकसान को बन्द कराना चाहता हूं, इत्यादि।

परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट तथा अन्तावरोध पर लिये गये मोबाईल नम्बरों पर होने वाली वार्ताओं से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाये जाने से श्री विजय सिह अ0पु0अ0 ने परिवादी की मूल शिकायत पर पृष्ठांकन कर शिकायत का गोपनीय सत्यापन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् प्रेमचन्द्र पु.नि. को निर्देश दिये, जिस पर मूल शिकायत एवं अन्य पत्रादि प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।इसके पश्चात् श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता एसीबी चौकी कोटा के लिये रवाना हुऐ तथा श्री दिलीप सिह, वरिष्ठ सहायक, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं.305 सूत्र सूचना की तस्दीक हेतु मन्

पुलिस निरीक्षक के पास छोडा। मन पुलिस निरीक्षक मय श्री विजय सिह अपुअ, श्री दिलीप सिह एंव श्री नरेन्द्र सिह के बहरोड से रवाना होकर अलवर पहुंचकर मुकिम रहे।

दिनांक 24.02.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 एवं श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक को स्पाई केम एंव डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर लाने हेतु कार्यालय, महानिदेशक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के लिए रवाना किया। दिनांक 25.02.2022 को श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 एवं श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक मय एक डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, 10 मैमोरी कार्ड एंव 4 स्पाई केम के मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल हुई वार्ता के कम में बहरोड बस स्टेण्ड पर मिले। अन्तावरोध पर लिये गये श्री रविन्द्र के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता सें ज्ञात हुआ कि एस.ओ. अपने ड्यूटि स्थान पर नही हैं, अग्रिम कार्यवाही एस.ओ. के आने पर किया जाना हैं, अतः श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 एवं श्री दिलीप सिह वरिष्ठ सहायक को आवश्यक हिदायत कर जायद तैनाती रवाना किया। दिनांक 28.02.2022 को श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 एवं श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक चौकी भ्र.नि. ब्यूरो कोटा सें मय दो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के निर्देशानुसार अलवर शहर पहुंचे।

दिनांक 01.03.2022 को शिकायत का प्रभावी सत्यापन करने के लिए मन पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो अलवर ने चार स्पाई केमरे, दो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एंव एक हेन्डीकेम श्री नरेन्द्र सिह कानि.305 एंव दिलीप सिह, वरिष्ठ सहायक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा को वाहन चालकों सें की जा रही वसूली के समय का विडियो/ऑडियो रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय श्री दिलीप सिंह एवं श्री नरेन्द्र सिह मय स्पाई केम डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं हेन्डीकेम के मय प्राईवेट वाहन से रवाना होकर शाहजंहापुर चैक पोस्ट पहुंचा, जहॉ पूरन उपस्थित मिला जिससे वार्ता कर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना होकर शाहजंहापुर चेक पोस्ट सें दिल्ली की तरफ ऑवरब्रिज के पास पहुंचे जंहा पर ट्रक आर. जे. 14 जी.एम. 6065 स्पाई केम चालु करके लगाये तथा शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर अवैध वसूली संबंधी वीडियों रिकार्ड की गई। इसके पश्चात ट्रक नम्बर आर.जे. 52 जी.ए. 6641 पर स्पाईकेम लगाकर चालक श्री दाताराम को रवाना शाहजंहापुर चैक पोस्ट पर अवैध वसूली की रिकार्डिग की गई। मन पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त विडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी तथा मन पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता के शाहजंहापुर में गोपनीय स्थान पर मुकिम रहे।

दिनांक 02.03.2022 को मन पुलिस निरीक्षक मय श्री दिलीप सिह व नरेन्द्र सिह ने हेन्डीकेम में चेक पोस्ट पर होने वाली गतिविधियों की समय करीबन 7.35 ए.एम. सें 8.04 ए. एम. तक की विडियो रिकॉर्डिंग की हैं, जिसमें चेक पोस्ट पर वाहनों की लाईन सी लगी हुई है तथा चेकपोस्ट के केबिन के पास खडे हुये व्यक्ति वाहन चालकों सें अपने हाथ उठाकर पैसे लेते हुये दिखाई दे रहे है तथा कुछ– कुछ समय पर कर्मचारी अपना स्थान भी बदल रहे है। इसके पश्चात ट्रक नम्बर आर.जे. 52 जी.ए. 6475 मे स्पाई केम लगाकर चालक श्री अन्ना सिंह को शाहजंहापुर चैक पोस्ट के लिए रवाना किया और अवैध वसूली की वीडियों रिकार्डिग करवायी गई। इसके बाद चालक आदेश के ट्रक नम्बर आर.जे. 14 जी.एन. 6075 मे एवं चालक रमेश के ट्रक नम्बर आर.जे. 14 जी.एन. 6015 स्पाई केम लगाकर शाहजंहापुर चैक पोस्ट मे अवैध वसूली की रिकार्डिग की गई।

इसके पश्चात दिनांक 04.03.2022 को सूत्र सूचना के गोपनीय सत्यापन के दौरान की गई विडियो रिकॉर्डिंग तथा दलाल रविन्द्र सिह चौहान के मोबाईल नम्बर के अन्तावरोध के दौरान सुनी गई वार्ताओं सें कर संग्रहण केन्द्र शाहजंहापुर (चेक पोस्ट) पर पदस्थापित परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी/प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा चैक पोस्ट सें निकलने वाले वाहनों सें एन्ट्री के नाम पर तथा वाहन को ऑवर लोड, ऑवर हाईट, दस्तावेजों में कमी, व चालान का भय दिखाकर जबरन वाहन चालकों सें वसूली किये जाने पुष्टि होने से समस्त हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो अलवर एवं उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो कोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांरा, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बून्दी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, भीलवाडा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीकर को मय टीम सायंकाल बहरोड उपस्थित आने के बाबत सूचित किया।

दिनांक 04.03.2022 को मन पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिह व नरेन्द्र सिह ने हेन्डीकेम में चेक पोस्ट पर होने वाली गतिविधियों को समय करीबन 7.35 ए.एम. सें 8.04 ए. एम. तक की विडियो रिकॉर्डिंग कीं, जिसमें चेक पोस्ट पर वाहनों की लाईन सी लगी हुई है तथा चेकपोस्ट के केबिन के पास खडे हुये व्यक्ति वाहन चालकों सें अपने हाथ उठाकर पैसे

लेते हुये दिखाई दे रहे है तथा कुछ– कुछ समय पर कर्मचारी अपना स्थान भी बदल रहे है। मन पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त विडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी।

इसके पश्चात ट्रक नम्बर आर.जे. 14 जी.एन. 3985 मे स्पाईकेम लगाकर ड्राईवर गोपाल शाहजंहापुर चैक पोस्ट के लिए रवाना किया तथा अवैध वसूली की विडियों रिकार्डिग की गई। इसके पश्चात हेन्डीकेम में चेक पोस्ट पर होने वाली गतिविधियों का विडियो समय करीबन 4.06 पी.एम. पर करीबन 7 मिनट का तथा समय करीबन 5.15 पी.एम. से 5.50 पी.एम. तक अलग– अलग विडियो रिकॉर्ड किये हैं, रिकॉर्डिंग मे चैक पोस्ट के कई कर्मचारी एवं परिवहन इन्सपेक्टर खडे हुये है तथा जिसमें चेक पोस्ट पर वाहनों की लाईन सी लगी हुई है तथा चेकपोस्ट के केबिन के पास खडे हुये व्यक्ति वाहन चालकों सें अपने हाथ उठाकर पैसे लेते हुये दिखाई दे रहे है तथा कुछ– कुछ समय पर कर्मचारी अपना स्थान भी बदल रहे है। इन्सपेक्टर श्री रविन्द्र सिंह भाटी एवं श्री रामनिवास यादव उप निरीक्षक चेकपोस्ट पर खडे हुये है तथा चैक पोस्ट पर वाहनों की लाईन सी लगी हुई है तथा चेकपोस्ट के केबिन के पास खडे हुये व्यक्ति वाहन चालकों सें अपने हाथ उठाकर पैसे लेते हुये दिखाई दे रहे है तथा कुछ– कुछ समय पर कर्मचारी अपना स्थान भी बदल रहे है। इन्सपेक्टर रविन्द्र सिंह भाटी भी गाडीयों की लाईन की तरफ गया तथा कुछ समय बाद वापस आया। हेन्डीकेम सें की गई रिकॉर्डिग सें स्पष्ट हो रहा हैं कि चेक पोस्ट पर उपस्थित वर्दीधारी एंव सादा वस्त्रों के व्यक्ति रविन्द्र सिंह भाटी एवं श्री रामनिवास उ.नि. की उपस्थिती तथा उनकी सहमति सें ही ट्रक चालको सें एन्ट्री के नाम पर तथा वाहन को ऑवरलोड, ऑवर हाईट, दस्तावेजों में कमी, व चालान का भय दिखाकर जबरन वसूली की जा रही हैं। उपरोक्त रिकॉर्ड विडियों को सुरक्षित रखा गया।

इसके पश्चात समय 9.00 पी.एम. पर ठाकुर चन्द्रशील कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो कोटा मय जाब्ता, श्री ज्ञानचन्द मीणा, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बून्दी, मय जाब्ता, श्री जाकीर अख्तर, उप पुलिस अधीक्षक, सीकर मय जाब्ता शाहजंहापुर आये तथा श्री गोपाल सिंह कानावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बांरा एवं श्री नरसी, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, भीलवाडा मय जाब्ता बहरोड उपस्थित आये। मन पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित अधिकारीगण को समस्त हालात एवं अग्रिम कार्यवाही के हालात निवेदन किये, समस्त अधिकारीगण मय जाब्ता अपनी उपस्थिती छुपाते हुये मुकिम रहे। मन पुलिस निरीक्षक ने मय जाब्ता अग्रिम कार्यवाही हेतु रैकी कर सूचना जुटाई तो ज्ञात हुआ कि एसओ श्री रविन्द्र सिंह भाटी की ड्यूटि चेकपोस्ट पर रात्री 12.00 ए.एम. सें 8.00 ए.एम. तक थी किन्तु वह चेक पोस्ट पर ड्यूटि पर उपस्थित नहीं आया तथा श्री रविन्द्र सिह चौहान दलाल भी उसकी दीना मोटर्स के कार्यालय में रात्री को उपस्थित नहीं हैं। एस.ओ. के चेकपोस्ट एवं दलाल के अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने सें समस्त हालात उपस्थित अधिकारीगण को निवेदन किये गये एवं निर्देशानुसार जायद तैनाती रवाना होने बाबत सूचित किया। भ्र.नि.ब्यूरो कोटा के श्री नरेन्द्र सिंह व श्री दिलीप सिंह को भी श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार के हमराह कोटा के लिए रवाना किया। मन पुलिस निरीक्षक मय श्री विजय सिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के प्राईवेट वाहन से रवाना होकर चौकी भ्र.नि.ब्यूरो अलवर पहुॅचे।

दिनांक 09.03.2022 को संकलित की गई सूचना एवं दलाल रविन्द्र सिह चौहान के मोबाईल नम्बर के अन्तावरोध के दौरान सुनी गई वार्ताओं सें प्रकट हुआ कि एस.ओ. श्री रविन्द्र सिंह भाटी की कर संग्रहण केन्द्र शाहजंहापुर (चेक पोस्ट) पर आज सांयकाल 4.00 पी.एम. सें 12.00 ए.एम. तक ड्यूटि हैं तथा इस दौरान कार्यवाही सें बडी मात्रा में अवैध राशि प्राप्त होने की संभावना होने से अग्रिम कार्यवाही किया जाना निश्चित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो कोटा, को मय जाब्ता, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बून्दी, को मय जाब्ता के सायंकाल बहरोड उपस्थित आने के बाबत सूचित किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रवाना होकर शाहजंहापुर पहुंचे तथा अपनी उपस्थिती छुपाते हुये गोपनीय स्थान पर मुकिम रहे। जहां रैकी कर सूचना जुटाई तो ज्ञात हुआ कि चैकपोस्ट शाहजंहापुर पर की जाने वाली अवैध वसूली अचानक बन्द कर दी गई है तथा दलाल रविन्द्र सिंह चौहान के अन्तावरोध पर चल रहे मोबाईल नम्बर भी बन्द होना पाया। जिससें की अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने सें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो कोटा मय जाब्ता, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बून्दी मय जाब्ता को रास्ते सें ही

जायद तैनाती लौटने हेतु सूचित किया। मन पुलिस निरीक्षक मय श्री विजय सिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से रवाना होकर चौकी भ्र.नि.ब्यूरो अलवर पहुंचें।

दिनांक 08.04.2022 को संकलित की गई सूचना तथा दलाल रविन्द्र सिह चौहान के मोबाईल नम्बर के अन्तावरोध के दौरान सुनी गई वार्ताओं सें प्रकट हुआ कि एस.ओ. श्री रविन्द्र सिंह भाटी की कर संग्रहण केन्द्र शाहजंहापुर (चेक पोस्ट) पर दिनांक 10.04.2022 को रात्री 12.00 ए.एम. सें 8.00 ए.एम. तक ड्यूटि रहेगी तथा दलाल श्री रविन्द्र सिंह चौहान भी अपने दीना मोटर्स के ऑफीस में मिलेगा, इस दौरान कार्यवाही सें बडी मात्रा में अवैध राशि प्राप्त होने की संभावना हैं अतः अग्रिम कार्यवाही किया जाना निश्चित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो कोटा, को मय जाब्ता, मय ट्रेप बॉक्स व फिनॉफ्थलीन पाउडर के, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बून्दी, को मय जाब्ता के सायंकाल बहरोड उपस्थित आने के बाबत सूचित किया तथा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 एवं श्री दिलीप सिह, वरिष्ठ सहायक को कल दिनांक 09.04.2022 को सुबह रवाना करने के लिए निवेदन किया गया। इस पर दिनांक 09.04.2022 को समय 12.10 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय रिकॉर्डिंग में काम आने वाले उपकरणों के बहरोड पहुचां जंहा भ्र.नि.ब्यूरो कोटा के श्री नरेन्द्र सिंह, कानि.305 श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक, श्री भरत सिंह कानि. 515 एंव श्री योगेन्द्र सिंह कानि.282 के प्राईवेट वाहन सें आये हुये मिले जिन्हे हमराह लेकर शाहजंहापुर चैकपोस्ट सें आगे दिल्ली की तरफ गये जंहा ओंकारा I कम्पनी के ट्रक नम्बर एम.एच. 04 एच.एस. 2032 मय चालक तथा एच.आर. 38 यू. 0171 चालक जनार्दन सिंह के मिले जिनसें बातचीत करके उनसें चैकपोस्ट पर होने वाले अवैध वसूली की कार्यवाही बाबत बात की तथा सहमत होने पर दोनों ट्रको के केबिन में स्पाई केम विडियो रिकॉर्डर चालु कर लगाये तथा उनको शाहजंहापुर चैकपोस्ट की तरफ रवाना किया। कुछ समय पश्चात दोनो ट्रको द्वारा चैकपोस्ट सें निकलने पर उनको रूकवाया तथा स्पाई केम रिकॉर्डर खोलकर उनको लेपटोप पर लगाकर देखा गया तो पाया गया कि ट्रक चालको सें चैक पोस्ट पर चालक ने सौ रूपये निकालकर दिये तो निले रंग की शर्ट पहने हुये व्यक्ति ने दो अगुंली का इशारा कर दौ सौ रूपये देने के लिए कहा जिस पर चालक ने पांच सौ रूपये दिये जो निले रंग की शर्ट पहने हुये व्यक्ति ने तीन सौ रूपये अपने पास सें वापस चालक को दिये तथा उसके पास अन्य दो व्यक्ति ओर थे तथा दूसरे ट्रक की रिकॉर्डिंग में भी चालक अपने पास सें पैसे निकालकर देता हैं जिसमें निले रंग की शर्ट वाला व्यक्ति हाथ ऊपर करके पैसे लेता हुआ दिखाई देता है तथा चालक उनसें बात करता हैं कि सौ ही लगते हैं तो वो दौ सो रूपये का इशारा करते हैं जिस पर चालक कहता हैं कि ओर कितने देने हैं। स्पष्ट हुआ हैं कि चेकपोस्ट पर अवेध वसूली की कार्यवाही बदस्तूर जारी है। कार्यवाही आज रात्री को किया जाना प्रस्तावित हैं अतः ओंकारा I कम्पनी के चालको को रात्री के समय बावल चौराहे पर मिलने बाबत वार्ता की। मय जाब्ता के अपनी उपस्थिती छुपाते हुये शाहजंहापुर में मुकिम रहा तथा श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार एवं श्री वैभव उपाध्याय के उपस्थित आये जिन्हे समस्त हालात निवेदन किये गये।

दिनांक 10.04.2022 समय 1.30 ए.एम. पर श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो कोटा मय जाब्ता, श्री अजीत बगडोलियाा, श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, श्री देवेन्द्र सिंह, कानि.304, श्री मनोज कानि. 211, श्री मुकेश सैनी कानि. 71, श्री बृजराज सिंह कानि. 159 मय ट्रेप बॉक्स मय फिनॉफ्थलीन पाउडर मय आवश्यक उपकरणों के प्राईवेट वाहन सें तथा श्री ज्ञानचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बून्दी, मय जाब्ता मय दो स्वतंत्र गवाहान के प्राईवेट वाहन सें शाहजंहापुर ऑवरब्रिज के पास उपस्थित आये जिन्हे समस्त हालात एवं अग्रिम कार्यवाही बाबत निवेदन किया तथा शाहजंहा पुर चेकपोस्ट सें आगे दिल्ली रोड पर मय जाब्ता व प्राइवेट वाहनों के मुकिम रहने के लिए सूचित किया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोटा सें ट्रेप बॉक्स एवं फिनॉफ्थलीन पाउडर मन पुलिस निरीक्षक ने लेकर अपने वाहन में रखवाया। समय 2.15 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दो स्वतंत्र गवाह मय जाब्ता मय स्पाई रिकॉर्डर व फिनॉफथलीन पाउडर मय ट्रेप बॉक्स के शाहजंहापुर ऑवरब्रिज के पास सें रवाना हो हरियाणा बॉर्डर शाहजंहापुर के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री तेज सिह नयाल पुत्र श्री महेन्द्र सिह नयाल जाति राजपूत उम्र 46 साल निवासी ग्राम/पोसट भैसडगांव थाना सोमेश्वर जिला अलमोडी उतराखण्ड हाल ड्राईवर (गाडी नम्बर ट्रक– आर0जे0 52 जी0ए0 6601) ओंकारा रोडवेज ट्रांसपोर्ट ए0जी0 39 संजयगांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली मो0न0 7821003581 व श्री सद्दाम पुत्र श्री उस्मान जाति मुसलमान उम्र 24 साल निवासी हमीराका थाना तिजारा जिला अलवर हाल ड्राईवर (गाडी नम्बर ट्रक– आर0जे0

52 जी0ए0 6604) ओंकारा रोडवेज ट्रांसपोर्ट ए0जी0 39 संजयगांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली मो0न0 8619082381एन0एच0न0 48 हरियाणा बोर्डर शाहजहापुर जिला अलवर परिवहन विभाग की चैक पोस्ट से पहले उपस्थित मिले जिन्होने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस का आशय का पेश किया कि " मैं तेज सिंह नोयाल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उम्र 47 साल जाति राजपुत निवासी ग्राम/पोस्ट भैसडगॉव थाना सोमेश्वर जिला अलमोडा उत्तराखण्ड का रहने वाला हू मे अभी ओंकारा कम्पनी की गाडी संख्या RJ52GA6601 चलाता हूँ जिस आज में पानिपत से नासिक लेकर जा रहा हूँ तथा मेरा साथी सददाम पुत्र असमान उम्र 24 साल जाति मुस्लमान निवासी हमीराका थाना तिजारा जिला अलवर का रहने वाला है। जो उसी ओंकारा ा कम्पनी की वाहन सं. RJ52GA6604 चलाता है जो अभी दिल्ली से मुमबई लेकर जा रहा है। हमारे से शाहॅजापुर में राजस्थान बोर्डर से परिवहन विभाग के निरीक्षक, गार्ड व प्राईवेट दलाल चैक पोस्ट से गुजरने वाले हमारे ट्रको से 200 रूपय जबरदस्ती वसूलते है यदि हमे 200 नही देते तो परिवहन विभाग के निरीक्षक उनके मन माफिक चलान काट देते है। अगर हमे इन्की शिकायत करते है तो ये हम हमारी गाडियो को हमेसा बन्द करने की धमकिया देत है मेरा दोस्त (साथी) आज दिनांक 10.04.2022 को शाहजहापुर परिवहन विभाग की चैक पोस्ट पर डयूटी करे रह निरीक्षक गार्ड व प्राईवट दलाल हमारे से 200 रू अवैध वसूल लेगें,, मे और मेरा साथी शॉहजहापुर चैक पौस्ट पर तैनात निरीक्षक व अन्य स्टाफ को 200 रूपये अवैध वसूली राशी प्रति गाडी के नही देना चाहते हॅ तथा इनको रंगे हाथो अवैध वसूली के रूपये रिश्वत राशी लेते हूए पकडवाना चाहता हॅ मेरी इनसे कोई दूश्मनी नही है ना हि कोई उधार का लेनदेन बाकी है कार्यवायी करने की कृपा करे।" परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के अवलोकन एंव मजिप्त दर्याप्त एंव गोपनीय जानकारी तथा ट्रको से की गयी विडियों रिकार्डिंग से मामला बोर्डर पर ट्रक पास करने की एवज मे अवैध वसूली के रूप मे परिवहन विभाग के अधिकारी/गार्डस द्वारा प्राईवेट व्यक्तियों के मार्फत रिश्वत लिया जाना पाया गया है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आने से अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। **समय 03.00 ए.एम पर** हमराह उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार हाल वाणिज्यिक सहायक दितीय– कार्यालय, सहायक अभियन्ता ए–3, जयपुर डिस्काम अलवर व श्री वैभव उपाध्याय हाल वाणिज्यिक सहायक दितीय– कार्यालय, सहायक अभियन्ता ए–3, जयपुर डिस्काम अलवर का परिचय परिवादी श्री तेजसिह व सद्दाम से करवाया गया बतौर ट्रैप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाहान से उपस्थित रहने की सहमति चाही गयी तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने सहमति व्यक्त की जिस पर परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवायें। तत्पश्चात् गवाहान के समक्ष प्रथम परिवादी श्री तेज सिह नयाल पुत्र श्री महेन्द्र सिह नयाल जाति राजपूत उम्र 46 साल निवासी ग्राम/पोसट भैसड्गांव थाना सोमेश्वर जिला अलमोडी उतराखण्ड हाल ड्राईवर (गाडी नम्बर ट्रक– आर0जे0 52 जी0ए0 6601) ओंकारा रोडवेज ट्रांसपोर्ट ए0जी0 39 संजयगांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली मो0न0 7821003581 ने परिवहन चैक पोस्ट पर एन्ट्री के रूप मे रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के सौ–सौ रूपये के दो नोट कुल 200/– रूपये अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर इस प्रकार हैं–

क. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 QR 747558
2.	एक सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 AC 482889

द्वितीय परिवादी श्री सद्दाम पुत्र श्री उस्मान जाति मुसलमान उम्र 24 साल निवासी हमीराका थाना तिजारा जिला अलवर हाल ड्राईवर (गाडी नम्बर ट्रक– आर0जे0 52 जी0ए0 6604) ओंकारा रोडवेज ट्रांसपोर्ट ए0जी0 39 संजयगांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली मो0न0 8619082381 परिवहन चैक पोस्ट पर एन्ट्री के रूप मे रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के सौ–सौ रूपये के दो नोट कुल 200/– रूपये अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर इस प्रकार हैं–

क. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 FM 353557
2.	एक सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 BW 204111

श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 288से प्राईवेट वाहन के डेक्स बोर्ड से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को कार के बोनट पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटो पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। प्रथम परिवादीगण श्री तेज सिह एवं श्री सद्दाम की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार से पृथक पृथक लिवाई गई। दोनो परिवादीगण के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये दो– दो सौ रूपये उपरोक्तानुसार नम्बरी नोट परिवादीगण के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब मे श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 288 से पृथक पृथक रखवाये गये।

इसके बाद एक काँच के गिलास में पास के ढाबे से साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 288 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादीगण को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवायी गई, दृष्टांत की कार्यवाही मे प्रयुक्त किया गया गिलास भी अच्छी तरफ साफ करके प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड मे रखवाया गया। श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 288 को मौके से अलवर पहुंचने की हिदायत देकर रवाना किया गया। परिवादीगण को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपीगण द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद मन् पुलिस निरीक्षक को मोबाईल का मिस कॉल करके ईशारा करे। डिजीटल वीडियो रिकार्डर परिवादीगण को पृथक पृथक दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन का वीडियो रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश की। इसके बाद परिवादी प्रथम श्री तेज सिह को व परिवादी दितीय श्री सद्दाम को उनके वाहन (ट्रक) के शाहजहांपुर चैक पोस्ट हेतु रवाना कर ट्रको के पीछे पीछे श्री विजय सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरों अलवर, श्री अजीत बगडोलिया पु0नि0, श्री मुकेश कुमार कानि0 71, श्री बृजराज सिह कानि0 159 को चैक पोस्ट पर पीछे की तरफ बने हुऐ सरकारी आवासो की तरफ निगरानी करने के लिये रवाना किया, श्री ज्ञानचंद मीणा उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बून्दी के हमराह उपस्थित जाप्ता एंव गवाहो के दलाल रविन्द्र सिह चौहान के दीना मोटर्स के केबिन एंव उनके दो कर्मचारी डिटेन करने हेतु रवाना कर, श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक के हमराह उपस्थित जाप्ता के होटल आई माता महादेव (ढाबा) चैक पोस्ट के पास के मालिक को डिटेन करने हेतु रवाना किया, मन् पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद मय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार, श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिह व0लि0, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री भरत सिह कानि0 515, श्री योगेन्द्र सिह कानि0 282, श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304, श्री मनोज कुमार कानि0 211 मय जाप्ता दो प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर परिवहन विभाग की चैक पोस्ट शाहजहांपुर के पास पहुंचकर अपनी उपस्थित छुपाते हुऐ ओर परिवादीगण के पूर्व निर्धारित ईशारे के इंतजार मे मुकिम हुये।

समय 03.55 ए.एम. **पर** गवाहान के समक्ष परिवादी ट्रक डाईवर तेज सिह नयाल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह नयाल जाति राजपूत उम्र 46 साल निवासी– ग्राम व पोस्ट भैसडगांव थाना सोमेश्वर जिला अलमोडा उत्तराखण्ड हाल चालक ओंकारा रोडवेज ट्रांसपोर्ट ए.जी. 39 संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने ट्रक नं. RJ 52 GA 6601 को साईड में लगाकर परिवहनकर्मी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का पूर्व निर्धारित ईशारा कर चैक पोस्ट की तरफ आया, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक, श्री नरेन्द्र सिंह, कानि. 305, श्री भरत सिह कानि. 515, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282, श्री देवेन्द्र सिह कानि. 304, श्री मनोज कुमार कानि. 515 कानि. के प्राईवेट गाडियों सें उतरकर तेज–तेज कदमों सें चलते हुए चैक पोस्ट की तरफ आते हुये ट्रक ड्राईवर श्री तेज सिह व श्री सद्दाम के पास पहुंचे तथा हमराही जाब्ता की मदद सें वंहा मौजूद सादा वस्त्रों व खाकी वर्दी पहने हुये 06 व्यक्तियों को डिटेन किया। इस पर चालक तेज सिह ने सादा कपडे पहने हुये व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया मुझ सें एक लाल रंग की शर्ट पहने हुये व्यक्ति ने मेरे ट्रक को रूकवाकर मेरी तरफ दो अगुंली दिखाकर दौ सौ रूपये देने का इशारा किया, जिस पर मैने सौ रूपये दिये तो उसने दौ सौ रूपये देने के लिए कहा इस पर मैने सौ रूपये ओर दिये, जो उसने उसके हाथ में

लेकर अखबार में रख लिये थे, वो रूपये अखबार में सें निकालकर सफारी सूट पहने हुए पास ही खडे व्यक्ति को दे दिए, डिटेनशुदा सफारी सूट पहने हुए एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया ओर कहा कि जो इन्होने रूपये अपने हाथ सें लेकर अपने हाथ वाले अखबार में रख लिये थे, जिसकी विडियो रिकॉर्डिंग आपके द्वारा मेरे ट्रक में लगाये गये विडियो रिकॉर्डर में हो गई है तथा इसी तरह सद्दाम ने भी कहा की मुझ सें भी 200 रूपये लेकर उस लाल रंग की शर्ट पहने हुये व्यक्ति ने 200 रूपये इनको सफारी शूट पहने हुये व्यक्ति को दे दिये थे। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये परिवादी द्वारा बताये सफारी सूट पहने हुए व्यक्ति सें उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत उम्र 60 साल निवासी– ग्राम आशपुरा थाना अजीतगढ तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान बताया तथा उसने बताया कि मैं पिछले दो तीन महीने सें यंहा कार्य कर रहा हूं मुझे परिवहन विभाग के अधिकारियों ने यंहा पर कार्य करने के लिए 300 रूपये प्रति दिन के वेतन पर लगाया हैं, इसलिए मैं एवं अन्य प्राईवेट व्यक्ति विक्रम सिह परिवहन विभाग की इस शिफ्ट में एन्ट्री के रूपये लेने का कार्य करते है, जो हम इकट्टे करके चौबारा रोड पर बनी हुई केबिन में रविन्द्र सिंह चौहान या लीलाराम को पहुंचा देते है, वो इकट्टी की गई रकम को शिफ्ट इन्चार्ज इन्सपेक्टरों को पहुंचा देते है। तत्पश्चात श्री गजेन्द्र सिह सें चालक श्री तेज सिंह व श्री सद्दाम सें 200–200 रूपये लेने वाले लाल रंग की शर्ट पहने हुये व्यक्ति के बारे में पूछा तो गजेन्द्र सिंह ने बताया कि इन चालकों को ट्रकों सें उतरकर आप लोगों को ईशारे करते तथा आप लोगों को इधर आते हुये देखकर वो मुझे कुछ रूपये पकडाकर यंहा सें भाग गया यंहा पर हमारी शिफ्ट में एन्ट्री की रकम लेने का कार्य वो ही करता हैं तथा उसका नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह द्वारा मुझे दिए गए रूपये मेरे हाथ मे रखे अखबार मे रखे है। तत्पश्चात अन्य सादा कपडों व खाकी वर्दी में खडे हुये व्यक्तियों सें उनके नाम पते पूछे तो उन्होने क्रम सें अपने नाम पते बताये जो निम्नानुसार है:– 1. कैलाशचन्द पुत्र श्री नत्थूराम जाति मेघवाल उम्र 56 साल निवासी–बी, 355 गणपति विहार, तिजारा फाटक अलवर हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, मोबाईल नम्बर–8058837742, 2.लोकेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति यादव उम्र 39 साल निवासी– उधुका बास थाना बानसूर जिला अवलर हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर मोबाईल नम्बर– 9461409994, 3.प्रदीप पुत्र हेमराज जाति मुसलमान उम्र 45 साल निवासी– ग्ग्रम व पोस्ट चिडावा थाना चिडावा जिला झुन्झुनु हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, मोबाईल नम्बर– 9509221603, 4.श्री सुमेर सिंह यादव पुत्र स्व. देवकरण यादव जाति यादव उम्र 59 साल निवासी– ग्राम जटगांवडा जखराना थाना बहरोड जिला अलवर हाल चालक परिवहन विभाग, चैक पोस्ट शाहजंहापुर अलवर, मोबाईल नम्बर–9413586909, 5. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति जाट उम्र 56 साल निवासी– भीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल संविदाकर्मी गार्ड परिवहन चेकपोस्ट शाहजंहापुर होना बताया। इसके पश्चात डिटेन किये गये अन्य खाकी वर्दीधारी व्यक्तियों सें उनके चैकपोस्ट पर उपस्थित होने का कारण पूछा तो बताया कि हम सभी की ड्यूटी एफएसएफ–3 के प्रभारी श्री रविन्द्र सिंह भाटी परिवहन निरीक्षक के साथ है, उनके कहेनुसार हम सभी कार्य करते हैं,यहां हमारी ड्यूटी आठ–आठ घण्टे की बदलती हुई रहती हैं तथा प्रत्येक शिफ्ट में गार्ड एवं चालक सहित करीबन 10–12 व्यक्ति रहते हैं। हम यहांचैक पोस्ट पर खडे होकर यंहा सें आने व जाने वाले वाहनों को रूकवाते हैं तथा वाहन चालको सेएन्ट्री की राशि वसूलते हैं, जो 100–200 सें लेकर हजारों रूपयों में होती हैं तथा ये राशि हम करीबन आधे या एक घण्टे में रकम इकट्टी करके चौबारा रोड पर बनी हुई केबिन में रविन्द्र सिंह चौहान या लीलाराम को पहुंचा देते है, वो इकट्टी की गई रकम को शिफ्ट इन्चार्ज इन्सपेक्टरों को पहुंचा देते है। प्राईवेट व्यक्ति गजेन्द्र सिंह के दाहिने हाथ में मौजूद अखबार को गवाह श्री मनोज कुमार सें दिखवाया गया तो अखबार में सौ –सौ रूपये के छ नोट मिले, सौ–सौ रूपये के नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनी फर्द पेशकशी सें करवाया गया तोसौ– सौ रूपये के चार नोट के नम्बर फर्द सुपुर्दगी सें हुबहू होना पाया गया जिसके नम्बर 3QR747558, 5AC482889, 6FM 353557, 9BW204111 है। उक्त नोटों को लिफाफे में रखकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा बचे हुये200 रूपये तथा पहने हुये कपडों की तलाशी मे 18,100 रूपये एवं एक मोबाईल मिला। गजेन्द्र सिह की तलाशी में मिले रूपयों बाबत पूछा तो बताया कि ये रकम यंहा सें निकलने वाले वाहनों सें एन्ट्री की वसूल की गई राशि है। उपरोक्त राशि ट्रक ड्राईवरों सें अवैध वसूली की होने के कारण गजेन्द्र सिंह के कब्जे से मिली राशि 18300/रूपयों को बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद लिफाफे मे रखकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर संबन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये, मोबाईल गवाह मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। रिश्वती राशि अखबार सें बरामद हुये हैं अतः परिवहन

चेकपोस्ट के केबिन मे रखे पीने के पानी के केम्पर में सें साफ पानी मंगवाया जाकर कांच के गिलास में पानी डलवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा अखबार जिस पर सें रिश्वती राशि बरामद हुई थी अखबार के रिश्वती राशि बरामदगी स्थान पर कपडे की चिन्दी सें रगडकर चिन्दी को घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क NP-1, NP-2अंकित किये गये तथा अखबार को कपडे की थैली में पैक कर मार्क NP कर चिन्हित करा हाजरीन के हस्ताक्षर करवाए। कॉटन की चिन्दी को कपडे की थैली में रखकर मार्क C अंकित कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। रिश्वती राशि श्री गजेन्द्र सिंह के कब्जे सें बरामद हुई हैं, अतः श्री गजेन्द्र सिंह की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पानी के केम्पर में सें साफ पानी मंगवाया जाकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। जिसमें श्री गजेन्द्र सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया तो दाहिने हाथ के धोवन का रंग मटमैला आया, जिन्हे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क RH-1, RH-2 चिन्हित करा हाजरीन के हस्ताक्षर करवा कब्जे एसीबी ली गई तथा बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया तो बायें हाथ के धोवन का मटमैला आया, जिन्हे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क LH-1, LH-2 से चिन्हित करा हाजरीन के हस्ताक्षर करवा कब्जे एसीबी ली गई।

इसके पश्चात 1. कैलाशचन्द संविदा कर्मी गार्ड की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार सें लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा 1300 रूपये मिले, जिनके बारे में पूछा तो बताया कि ये रकम यंहा सें निकलने वाले वाहनों सें एन्ट्री वसूल की गई राशि है। उपरोक्त राशि ट्रक ड्राईवरों सें अवैध वसूली की होने के कारण बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद लिफाफे मे रखकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर संबन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये, मोबाईल गवाह मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। 2.लोकेश कुमार, संविदाकर्मी गार्ड की जामा तलाशी में मोबाईल के अलावा 1700 रूपये मिले, जिनके बारे में पूछा तो बताया कि ये रकम यंहा सें निकलने वाले वाहनों सें वसूल की गई राशि है। उपरोक्त राशि ट्रक ड्राईवरों सें अवैध वसूली की होने के कारण बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद लिफाफे मे रखकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर संबन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये, मोबाईल गवाह मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। 3.प्रदीप हाल संविदा कर्मी गार्ड के पास तलाशी मे 14,000 रूपये मिले, जिनके बारे में पूछा तो बताया कि ये रकम यंहा सें निकलने वाले वाहनों सें वसूल की गई राशि है। उपरोक्त राशि ट्रक ड्राईवरों सें अवैध वसूली की होने के कारण बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद लिफाफे मे रखकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर संबन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। 4.श्री सुमेर सिंह यादव, चालक के पास जामा तलाशी में मोबाईल के अलावा 900 रूपये मिले जिनके बारे में पूछा तो बताया कि ये रकम यंहा सें निकलने वाले वाहनों सें एन्ट्री की वसूल की गई राशि है। उपरोक्त राशि ट्रक ड्राईवरों सें अवैध वसूली की होने के कारण बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद लिफाफे मे रखकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर संबन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये, मोबाईल गवाह मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। 5. श्री राजेन्द्र सिंह संविदाकर्मी गार्ड परिवहन चेकपोस्ट शाहजंहापुर के पास 13000/– रूपये मिले, जिनके बारे में पूछा तो बताया कि ये रकम यंहा सें निकलने वाले वाहनों सें वसूल की गई राशि है। उपरोक्त राशि ट्रक ड्राईवरों सें अवैध वसूली की होने के कारण बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद लिफाफे मे रखकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर संबन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहानचैक पोस्ट पर बने टैक्स काउन्टर मे पहुँचा, जहॉ एक व्यक्ति उक्त काउन्टर के अन्दर सोता हुआ मिला, जिसे जगाकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रतन लाल पुत्र श्री रामकुमार जाति मेघवाल उम्र 34 साल निवासी– मुकाम व पोस्ट– घुमनसरकलां तहसील सुरजगढ वाया पिलानी जिला झुंझुनु हाल सूचना सहायक, परिवहन चैकपोस्ट शाहजंहापुर मोबाईल नम्बर– 9772967330 होना बताया। इस पर स्वतंत्र गवाहान से उक्त टैक्स काउन्टर की नियमानुसार तलाशी करवायी गयी तो उक्त रतन लाल सूचना सहायक के टैक्स काउन्टर मे 2,18,380/ रूपये मिले जिनके बारे मे रतन लाल से पूंछा तो उसने बताया कि दूसरे राज्य से आने वाले वाहनो के स्टेट टैक्स जमा करवाने की दिनांक 08.04.22 सें अब तक की काटी

गयी रसीदो की राशि है, टैक्स रसीद काटने की डूयटी मेरी व प्रमोद कुमार बैरवा कनिष्ट सहायक की है, प्रमोद कुमार दिनांक 06.04.22 सें अवकाश पर है, जिस कारण तब से आज तक टैक्स काउन्टर पर मेरी ही ड्यूटी चल रही है। मैने दिनांक 07.04.22 तक की रसीदो की राशि 78910/–ईग्रास पोर्टल से चालान बनाकर एसबीआई बैंक नीमराणा मे जमा करा दी है। उसके बाद दिनांक 08.04.22 से रसीद संख्या 1268426 से 1268493 तक 98070/– रूपये तथा दिनांक 09.04.22 रसीद संख्या 1268494 से 1268556 तक 90670/– रूपये राजकीय रिकार्ड के अनुसार जमा करवायी जाना शेष है। दिनांक 10.04.2022 की रसीद संख्या 1268557 से 1268570 तक राशि 29640/– इस प्रकार दिनांक 08.04.22 से 10.04.22 तक की कुल राशि 2,18,380/ रूपये रिकार्ड अनुसार जमा करवायी जानी शेष है। दिनांक 09.04.22 व 10.04.22 का राजीकय अवकाश होने के कारण जमा नही करवायी गयी है। जिनको चैक किया तो सही पाया गया, उक्त राशि राजकीय राशि होने के कारण नियमानुसार वापस लौटायी गयी। रसीद बुकों की दिनांक 08.04.2022 से 10. 04.2022 तक की रसीदों, चालान रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ तथा दिनांक 07.04.2022 को जमा करायें गए चालान की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की।

तत्पश्चात श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी–अभी एक व्यक्ति जो ब्यूरो टीम को देखकर मौके से भागकर चैक पोस्ट परिसर मे बने हुये आवास मे छुपा है। उस व्यक्ति श्री रविन्द्र सिंह भाटी परिवहन निरीक्षक को जाब्ते की मदद सें डिटेन किया हैं, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता व डिटेनशुदा व्यक्तियों को साथ लेकर मय आवश्यक उपकरणों, ट्रेप बॉक्स व जब्तशुदा आर्टीकल्स के चेक पोस्ट पर परिवहन निरीक्षक के लिए बने आवास में पहुंचा तथा डिटेनशुदा व्यक्तियों को जाब्ते की मदद सें आवास में बने हॉल में सुरक्षित अभिरक्षा मे बैठाया। मन पुलिस निरीक्षक ने श्री रविन्द्र सिह भाटी पुलिस निरीक्षक सें उसका पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह भाटी जाति राजपुत उम्र 42 साल निवासी– मकान नम्बर 147 ए, हनुवंत, बीजेएस कोलोनी जोधपुर हाल परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र, शाहजंहापुर जिला अलवर होना बताया, तत्पश्चात श्री रविन्द्र सिंह की तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार सें लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों में एक मोबाईल आईफोन 5 एस मिला, जिसको अनलॉक करने के लिए श्री रविन्द्र सिंह को कहा गया तो कहा कि मैं इसके लॉक का पैटर्न भूल गया। श्री रविन्द्र सिंह ने बताया कि यह आवास सरकारी है, जिसमे प्रत्येक शिफ्ट मे आने वाले अधिकारीगण रूकते है, मै पास मे ही मकान नम्बर बी–35, गोयल निवास, औद्योगिक क्षेत्र मे रहता हूॅं, यहॉ सरकारी भवन मे ड्यूटी टाईम ही रूकता हूॅं। तत्पश्चात आरोपी श्री रविन्द्र सिंह के वर्तमान उपस्थित सरकारी भवन की तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो भवन के पृथक–पृथक तीन कमरों की तलाशी मे दैनिक जरूरत के सामानों के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु व राशि नहीं मिली। श्री रविन्द्र सिंह परिवहन निरीक्षक के मोबाईल को स्वतंत्र गवाह श्री मनोज के पास सुरक्षित रखवाया गया।

तत्पश्चात श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक ने मय जाब्ता डिटेनशुदा व्यक्ति श्री हरिश उर्फ हीराराम पुत्र श्री सोनाराम उम्र 22 साल जाति कुम्हार निवासी गॉव चाडो की ढाणी, तहसील व थाना सिणदरी जिला बाडमेर हाल कर्मचारी आई माता महादेव होटल को मय फर्द चैकिंग आईमाता होटल एवं जब्तशुदा राशि 34,700 रूपये तथा वाहन चालको सें रूपये प्राप्त करने की 11 पर्चीयों के पेश किया।

कुछ समय पश्चात श्री ज्ञानचन्द मीणा, उप अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो बून्दी ने कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, कर संग्रहण केन्द्र, शाहजंहापुर के पास बने प्राईवेट केबिन की फर्द चैकिंग मय जब्तशुदा राशि 2,06,010 रूपये मय मुताबिक फर्द दस्तावेज, जब्तशुदा कुल 7 मोबाईल मय डिटेनशुदा व्यक्ति 1.श्री रविन्द्र सिंह उर्फ रवि पुत्र श्री इन्दरपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर, 2.श्री विक्रम सिंह उर्फ लीला पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी ग्राम चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर एंव 3. श्री सुबे सिंह उर्फ लीलू पुत्र राम सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी श्याम मन्दिर के पास, शाहजहांपुर थाना शाहजहांपुर जिला अलवर को लाकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया। तथा आरोपी रविन्द्र सिंह चौहान के ग्राम चौबारा मे स्थित आवास की फर्द खाना तलाशी मय 09 वाहन रजिस्ट्रेन कार्ड मय जप्तशुदा राशि 8,85,000/रूपये पेश की, जो शामिल पत्रावली की।

श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक द्वारा पेश डिटेनशुदा व्यक्ति श्री हरिश उर्फ हीरा राम सें पर्चीयों व जब्तशुदा राशि बाबत पूछा तो बताया कि ये राशि मैने ट्रक चालको सें इन रविन्द्र सिंह जी चौहान के कहने पर प्राप्त किये हैं। ट्रक चालक मेरी होटल पर आकर उनके मोबाईल सें मेरी बात इनसें करवाते थे तथा ये मुझे उस चालक सें रूपये लेकर अपने पास रखने व हिसाब की पर्ची बनाने के लिए बोलते थे, जिस पर मैं ट्रक चालक सें इनके कहे मुताबिक रूपये लेकर अपने पास रख लेता

था तथा पर्ची बना लेता था। इसके बाद ये रविन्द्र सिंह जी या इनका कोई आदमी आकर मुझ सें पर्ची के हिसाब सें रूपये ले लेते थे तथा इसके बाद में हिसाब की पर्ची फाडकर फेंक देता था। श्री हरिश द्वारा कहे गये कथनों बाबत श्री रविन्द्र सिंह चौहान सें पूछा गया तो श्री रविन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि ये हरिश के पास मेरी गाडियों की हरियाणा की एन्ट्री के पैसे रखवाता था, यदि एन्ट्री के रूपये नहीं देने होते थे तो मै इससे रूपये वापस ले आता था। आरोपी रविन्द्र सिंह चौहान के घर की खाना तलाशी मे मिली राशि 8,85,000/रूपये के बारे मे पुछा तो उसने बताया मैने एक महिने पहले मैने मेरी स्कॉर्पियों कार स्वयं के मिलने वाले रिंकू यादव को बेची थी, जिसमे मुझे 15–20 दिन पहले 8,85,000/रूपये नगद दिए है, जो मेरे घर पर रखी हुई थी, रिंकू यादव का मोबाईल नम्बर व पता पुछा तो अभी याद नहीं होना बताया, मोबाईल नम्बर व पता के अभाव मे मौके पर राशि की प्राप्ति की तस्दीक संभव नही है व आरोपी रविन्द्र सिंह का जवाब संतोषप्रद नहीं होना पाया गया है। स्वयं की केबिन में स्वयं की जामा तलाशी मे मिली 1,46,010/रूपयों के बारे में पूछा तो बताया कि मेरे पास कुल 16 ट्रक गाडियां है, जिनमे से 11 मेरे नाम है तथा पॉच अन्य व्यक्यियों के नाम से है, जिन्हे मै ही संभालता हूॅ, ट्रकों सें हुई दैनिक कमाई के रूपयें हैं। इस पर रविन्द्र सिंह चौहान से उक्त राशि मे किस–किस व्यक्ति कितनी कितनी राशि प्राप्त की, विवरण पुछा तो कोई जवाब नहीं दिया और चुप रहा। हरियाणा की एन्ट्री बाबत श्री हरिश प्रो. आईमाता होटल ने कहा कि ये झूंठ बोल रहे हैं ये रकम इनके द्वारा दूसरी गाडियों की बहरोड एवं शाहजंहापुर बॉर्डर की एन्ट्री की रकम हैं तथा श्री रविन्द्र सिंह द्वारा कहे गये कथन की घर पर मिली राशि मेरी कार बेचान के हैं तथा केबिन में मिली राशि मेरी गाडियों सें हुई दैनिक बचत की हैं निराधार हैं, क्योंकि श्री रविन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर 7742764581 के अन्तावरोध के दौरान हुई वार्ताओं से स्पष्ट हैं कि श्री रविन्द्र सिह चौहान, शाहजंहापुर एवं बहरोड सें गाडीयां पास करवाने के लिए गाडी मालिक/चालकों सें एन्ट्री के नाम पर परिवहन चेक पोस्ट पर कार्यरत अधिकारियों के लिए अवैध रकम वसूल करता है।

तत्पश्चात श्री रविन्द्र सिंह भाटी सें श्री रविन्द्र सिंह चौहान प्राईवेट व्यक्ति द्वारा शाहजंहापुर एवं बहरोड सें गाडीयां पास करवाने के नाम पर अवैध रूप सें वसूल की जा रही रकम एंव परिवहन चैक पोस्ट पर परिवहन विभाग के कर्मचारियों एंव प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा स्वंय की उपस्थिती में ट्रक चालकों सें की जा रही अवैध वसूली बाबत पूछा तो बताया कि मैं रविन्द्र सिंह उर्फ रवि चौहान को जानता हूॅ क्योंकी इसका चेक पोस्ट के पास ही दीना मोटर्स के नाम से ऑफिस है तथा इसके ट्रकों का काम है, ये ट्रकों के चालान आदि कम्पाउण्ड कराने के लिए आता है, ऑफिसियल कार्य के अतिरिक्त मेरी इससे कोई जान–पहचान नहीं है, इसके द्वारा यदि किसी प्रकार की कोई अवैध वसूली की जाती हो तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस पर रविन्द्र सिंह भाटी से पुछा कि आपकी रविन्द्र सिंह चौहान से वाट्सएप के जर्ये कॉल वार्ता होती है, तो रविन्द्र सिंह भाटी ने वाट्सएप के जर्ये वार्ता होने से इंकार किया, इस पर स्वयं के मोबाईल को अनलॉक कर वाट्सएप का कॉल लॉग दिखाने के लिए कहा तो मोबाईल का पासवार्ड भूलना बताया, ओर मोबाईल अनलॉक नहीं किया, जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि रविन्द्र सिंह भाटी व दलाल रविन्द्र सिंह चौहान के आपस मे वाट्सएप के जर्ये अवैध राशि एकत्र करने के संबंध मे वार्ता होती है। संग्रहण केन्द्र पर मेरी उपस्थिति मे कोई अवैध वसूली नहीं होती हैं, ना ही मेरे सामने कभी भी कोई अवैध वसूली की गई हैं। परिवहन चेक पोस्ट पर लगे संविदाकर्मियों व अन्य प्राईवेट व्यक्तियों की पास तलाशी मे मिली अवैध राशि के बारे मे मुझे कोई जानकारी नही है, उनके पास मिली राशि उनकी स्वयं की होगी। मै रात्रि मे तबीयत खराब होने के कारण सरकारी भवन मे रात को सो गया था, यदि संविदाकर्मियों ने अवैध वसूली की हो तो मुझे पता नही है।

इसके पश्चात डिटेनशुदा श्री विक्रम सिंह उर्फ लीला पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी ग्राम चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर से उसकी जामा तलाशी मे मिले 32000/रूपये के बारे मे पुछा तो उसने बताया कि ये रूपये चेक पोस्ट पर ट्रकों से एन्ट्री की वसूली राशि के है जो हर आधे–एक घण्टे मे गार्ड या अन्य प्राईवेट व्यक्ति यहॉ केबिन मे हमे देकर जाते है। श्री सुबे सिंह उर्फ लीलू पुत्र राम सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी श्याम मन्दिर के पास, शाहजहांपुर थाना शाहजहांपुर जिला अलवर से उसकी जामा तलाशी मे मिले 28000/रूपये के बारे मे पुछा तो उसने बताया कि ये रूपये मुझे रविन्द्र सिंह चौहान ने मेरी नौकरी के दिए है, जो मैने मेरे पास ही रखे है। कार्यवाही से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु पृथक से पत्र जारी किया गया। इसके बाद परिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। तत्पश्चात् आरोपीगण 1. कैलाशचन्द हाल संविदा कर्मी गार्ड, 2. लोकेश

कुमार हाल संविदा कर्मी गार्ड, 3. प्रदीप हाल संविदा कर्मी गार्ड, 4. सुमेर सिह यादव हाल संविदा कर्मी गार्ड, 5. राजेन्द्र सिह हाल संविदा कर्मी गार्ड, 6. रविन्द्र सिह, 7. सुबे सिह उर्फ लीलू, 8. विक्रम सिह, 9. हरिश उर्फ हीराराम 10. श्री गजेन्द्र सिह, 11. श्री रविन्द्र सिह भाटी हाल परिवहन निरीक्षक, कर संग्रहण केन्द्र के विरूद्व अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 384, 120बी भारतीय दण्ड संहिता पाया जाने से जर्ये फर्द नियमानुसार पृथक पृथक गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् दोनों गवाहान के समक्ष डिजीटल विडियो रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से उसमें रिकार्ड रिश्वत संबंधी वीडियों जो चैक पोस्ट के कर्मचारियों व दलालो से संबंधित है। उक्त वीडियो रिकार्डिंग को डिजीटल वीडियो रिकार्डर से लेपटॉप मे लिवाया जाकर, लेपटोप के जरिये डी0वी0डी0 मे डब्ड करवाकर तैयार करवाई गई। जिसकी फर्द डबिंग नियमानुसार तैयार करवायी गयी।

समय 07.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद, श्री विजय सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण (1 लगायत 11) मय प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन बोलरों मय चालक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के मय जप्तशुदा धोवन की शीशीयॉ कुल 06 शीशीयॉ, रिश्वत राशि 400रूपये, तलाशी के दौरान जप्तशुदा राशि, चिन्दी का पैकिट, जप्तशुदा रिकार्ड, डी0वी0डी0 तथा मेमोरी कार्ड के पैकिट के घटनास्थल से रवाना हुआ। दोनो परिवादीगण तथा एसीबी चौकी बून्दी, एसीबी चौकी कोटा से इमदाद हेतु आये हुऐ जाप्ते को रूकसत किया गया। तत्पश्चात् एसीबी चौकी अलवर पहुंचकर जप्तशुदा आर्टिकल्स जमा मालखाना करवाये गयें।

उपरोक्त कार्यवाही में चैक पोस्ट पर पदस्थापित आरोपीगण 1.श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत उम्र 60 साल निवासी– ग्राम आशपुरा थाना अजीतगढ तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान 2.कैलाशचन्द पुत्र श्री नत्थूराम जाति मेघवाल उम्र 56 साल निवासी–बी, 355 गणपति विहार, तिजारा फाटक अलवर हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, 3.लोकेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति यादव उम्र 39 साल निवासी– उधुका बास थाना बानसूर जिला अवलर हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, 4.प्रदीप पुत्र हेमराज जाति मुसलमान उम्र 45 साल निवासी– ग्राम व पोस्ट चिडावा थाना चिडावा जिला झुन्झुनु हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर,, 5.श्री सुमेर सिंह यादव पुत्र स्व. देवकरण यादव जाति यादव उम्र 59 साल निवासी– ग्राम जटगांवडा जखराना थाना बहरोड जिला अलवर हाल चालक परिवहन विभाग, चैक पोस्ट शाहजंहापुर अलवर, 6. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति जाट उम्र 56 साल निवासी– भीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल संविदाकर्मी गार्ड परिवहन चेकपोस्ट शाहजंहापुर द्वारा चेक पोस्ट से गुजरने वाले ट्रकों व अन्य व्यावसायिक वाहनों से अवैध वसूली किया जाना, दौराने ट्रेप कार्यवाही चैक पोस्ट पर कार्य करने वाले प्राईवेट व्यक्ति श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री विक्रम सिंह द्वारा परिवादी श्री तेज सिंह नायल एवं सद्धाम से रिश्वति राशि 400/रूपये ग्रहण कर अपने पास रखने, आरोपी गजेन्द्र सिंह के कब्जे से रिश्वति राशि 400 रूपये बरामद होने, आरोपी के दोनो हाथों के धोवन का रंग मटमैला आने तथा आरोपी के हाथ में लगे हुये अखबार जिस पर रिश्वत राशि रखी हुई थी के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने तथा आरोपीगण 1.गजेन्द्र सिंह के पास सें फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हुये चार नोट 400 रूपये के अलावा 18,300 रूपये, आरोपी 2.कैलाशचन्द के पास सें मिले 1300 रूपये, 3.लोकेश कुमार के पास सें मिले 1700 रूपये, 4.प्रदीप के पास सें मिले 14,000 रूपये, 5.श्री सुमेर सिंह यादव, के पास सें मिले 900 रूपये, 6. श्री राजेन्द्र सिंह के पास सें मिले 13000/– रूपये, वाहन चालकों से अवैध वसूली की राशि बरामद हुई है तथा 7.श्री रविन्द्र सिंह उर्फ रवि पुत्र श्री इन्दरपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर, 8.श्री विक्रम सिंह उर्फ लीला पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी ग्राम चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर एंव 9. श्री सुबे सिंह उर्फ लीलू पुत्र राम सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी श्याम मन्दिर के पास, शाहजहांपुर थाना शाहजहांपुर जिला अलवर, 10.श्री हरिश उर्फ हीराराम पुत्र श्री सोनाराम उम्र 22 साल जाति कुम्हार निवासी गॉव चाडो की ढाणी, तहसील व थाना सिणदरी जिला बाडमेर हाल कर्मचारी आई माता महादेव होटल शाहजंहापुर के पास शाहजहापुर सें गाडीयां पास करवाने के लिए गाडी मालिक/चालकों सें एन्ट्री के नाम पर परिवहन चेक पोस्ट पर कार्यरत अधिकारियों के लिए अवैध रकम वसूलने एंव दौराने चैकिंग श्री रविन्द्र सिंह चौहान के कब्जे सें 1,46,010 रूपये, श्री विक्रम सिह के कब्जे सें 32,000 रूपये, श्री सुबे सिंह के पास सें 28,000 रूपये एवं श्री हरिश

उर्फ हीराराम के पास सें 34,700 रूपये बरामद होने तथा आरोपी 11.श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिह भाटी जाति राजपुत उम्र 42 साल निवासी– मकान नम्बर 147ए, हनुवंत, बीजेएस कोलोनी जोधपुर हाल परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र, शाहजंहापुर जिला अलवर की ड्यूटि के दौरान परिवहन चैक पोस्ट पर परिवहन कर्मियों एंव प्राईवेट व्यक्तियों एवं दलाल श्री रविन्द्र सिंह चौहान द्वारा अवैध वसूली कर रकम एकत्रित की गई है, तथा दौराने कार्यवाही श्री विक्रम सिंह द्वारा रिश्वती राशि परिवादी सें प्राप्त करने एवं बाद में फरार होने के कारण उक्त आरोपीगण द्वारा अपने लोककर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से व बेईमानीपूर्वक ट्रक चालकों को चालान बनाने का भय दिखाकर जबरन अवैध वसूली कर असम्यक लाभ प्राप्त करने का उपरोक्त कृत्य धारा7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 384,120बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध होना पाया गया हैं तथा दिनांक 04.03.2022 को शाहजंहापुर परिवहन चेकपोस्ट पर हेन्डीकेम सें की गई रिकॉर्डिग मे चैक पोस्ट के कई कर्मचारी एवं परिवहन इन्सपेक्टर श्री रविन्द्र सिंह भाटी एवं श्री रामनिवास यादव उप निरीक्षक चेकपोस्ट पर खडे हुये नजर आ रहे हैं तथा जिनके सामने ही चेक पोस्ट पर उपस्थित वर्दीधारी एंव सादा वस्त्रों के व्यक्ति ट्रक चालको सें जबरन अवैधवसूली की जा रही हैं।

अतः आरोपीगण .(1) **श्री रविन्द्र सिंह** पुत्र श्री जसवन्त सिह भाटी जाति राजपुत उम्र 42 साल निवासी– मकान नम्बर 147ए, हनुवंत, बीजेएस कोलोनी जोधपुर हाल परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र, शाहजंहापुर जिला अलवर (2) **श्री गजेन्द्र सिंह** पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत उम्र 60 साल निवासी– ग्राम आशापुरा थाना अजीतगढ तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान (3) **श्री कैलाशचन्द** पुत्र श्री नत्थूराम जाति मेघवाल उम्र 56 साल निवासी–बी, 355 गणपति विहार, तिजारा फाटक अलवर हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, (4) **श्री लोकेश कुमार** पुत्र हनुमान प्रसाद जाति यादव उम्र 39 साल निवासी– उधुका बास थाना बानसूर जिला अवलर हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, (5) **श्री प्रदीप पुत्र हेमराज** जाति मुसलमान उम्र 45 साल निवासी– ग्रम व पोस्ट चिडावा थाना चिडावा जिला झुन्झुनु हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, (6) **श्री सुमेर सिंह यादव** पुत्र स्व. देवकरण यादव जाति यादव उम्र 59 साल निवासी– ग्राम जटगांवडा जखराना थाना बहरोड जिला अलवर हाल चालक परिवहन विभाग, चैक पोस्ट शाहजंहापुर अलवर, **(7) श्री राजेन्द्र सिंह** पुत्र श्री राम सिंह जाति जाट उम्र 56 साल निवासी– भीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल संविदाकर्मी गार्ड परिवहन चेकपोस्ट शाहजंहापुर **(8) श्री रविन्द्र सिंह उर्फ रवि** पुत्र श्री इन्दरपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर, **(9) श्री विकम सिंह उर्फ लीला** पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी ग्राम चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर एंव **(10) श्री सुबे सिंह उर्फ लीलू** पुत्र राम सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी श्याम मन्दिर के पास, शाहजहांपुर थाना शाहजहांपुर जिला अलवर, (11) **श्री हरिश उर्फ हीराराम** पुत्र श्री सोनाराम उम्र 22 साल जाति कुम्हार निवासी गॉव चाडो की ढाणी, तहसील व थाना सिणदरी जिला बाडमेर हाल कर्मचारी आई माता महादेव होटल शाहजंहापुर के पास शाहजहापुर तथा (12) **श्री विक्रम सिंह प्राईवेट व्यक्ति** एंव (13.) **श्री रामनिवास यादव** परिवहन उप निरीक्षक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र, शाहजंहापुर जिला अलवर व अन्य के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7 ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 एंव 384, 120 बी, भा.द.स.में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर की सेवामे वास्ते कमांकन सादर प्रेषित है।

(प्रेमचंद)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर–प्रथम, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384, 120बी, भा.दं.सं. में आरोपीगण (1) श्री रविन्द्र सिंह, परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र, शाहजंहापुर जिला अलवर (2) श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र नाथू सिंह निवासी- ग्राम आशपुरा थाना अजीतगढ तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान (3) श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री नत्थूराम निवासी-बी, 355 गणपति विहार, तिजारा फाटक अलवर हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, (4) श्री लोकेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी- उधुका बास थाना बानसूर जिला अवलर हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, (5) श्री प्रदीप पुत्र हेमराज निवासी- ग्रम व पोस्ट चिड़ावा थाना चिड़ावा जिला झुन्झुनु हाल संविदा कर्मी गार्ड, परिवहन चैकपोस्ट शाहजहांपुर, (6) श्री सुमेर सिंह यादव पुत्र स्व. देवकरण यादव निवासी- ग्राम जटगांवडा जखराना थाना बहरोड़ जिला अलवर हाल चालक परिवहन विभाग, चैक पोस्ट शाहजंहापुर अलवर, (7) श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी- भीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल संविदाकर्मी गार्ड, परिवहन चेकपोस्ट शाहजंहापुर (8) श्री रविन्द्र सिंह उर्फ रवि पुत्र श्री इन्दरपाल सिंह निवासी चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर, (9) श्री विक्रम सिंह उर्फ लीला पुत्र श्री हरनाथ सिंह निवासी ग्राम चोबारा थाना शाहजहांपुर जिला अलवर एवं (10) श्री सुबे सिंह उर्फ लीलू पुत्र राम सिंह निवासी श्याम मन्दिर के पास, शाहजहांपुर थाना शाहजहांपुर जिला अलवर, (11) श्री हरिश उर्फ हीराराम पुत्र श्री सोनाराम निवासी गॉव चाडो की ढाणी, तहसील व थाना सिणदरी जिला बाडमेर हाल कर्मचारी आई माता महादेव होटल शाहजंहापुर के पास, शाहजहापुर, जिला अलवर, (12) श्री विक्रम सिंह प्राईवेट व्यक्ति एवं (13.) श्री रामनिवास यादव परिवहन उप निरीक्षक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र, शाहजंहापुर जिला अलवर व अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 126/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.4.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1115-19 दिनांक 11.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर